42

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में

प्रथम अपीलीय अधिकारी श्री शिव कुमार तिवारी, अपर कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

अपील प्रकरण क्रमांक — **13/2015**

श्री प्रकाश अग्रवाल

संयोजक, जागो भारत जागो, ...अपीलार्थी

एल0आई0जी0 78 भारती निकेतन, गोविंदपुरा भोपाल, 462023..........

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी (कार्यालय जिला पंचायत दन्तेवाड़ा) ....रिस्पाडेंट

जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ....

—आदेश—

(पारित दिनांक 19—03—2015)

• श्री प्रकाश अग्रवाल, संयोजक, जागो भारत जागो, एल0आई0जी0 78 भारती निकेतन, गोविंदपुरा, भोपाल 462013 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के तहत् प्रथम अपील आवेदन पत्र दिनांक 3-3-2015 तथा अपील शुल्क के रूप में 50.00 रू0 का पोस्टल आर्डर प्रथम अपीलीय अधिकारी को डाक द्वारा प्रेषित किया गया। अपील आवेदन पत्र प्रथम अपीलीय अधिकारी को दिनांक 10—03—2015 को प्राप्त हुआ। अपील आवेदन पत्र के साथ जन सूचना अधिकारी कार्यालय पंचायत एवं समाज कल्याण दंतेवाड़ा को दिनांक 11—01—2015 को जानकारी की मांग किए जाने बाबत् पूर्व में प्रेषित, आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई है साथ ही उप संचालक पंचायत एवं समाज कल्याण दन्तेवाड़ा का पत्र कमांक/61/दिनांक 15—01—2015 भी संलग्न किया गया है, जिसमें आवेदक द्वारा चाही गई जानकारियां जिला पंचायत दन्तेवाड़ा के कार्यालय से संबंधित होने के कारण मूल आवेदन पत्र कार्यालय जिला पंचायत दन्तेवाड़ा की ओर प्रेषित किए जाने का उल्लेख किया गया है। अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन पत्र में उल्लेख किया गया है कि जन सूचना अधिकारी से मांग की गई जानकारी प्रदाय नहीं किये जाने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन पत्र अपीलीय अधिकारी के कार्यालय को प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई हेतु सूचना पत्र क्रमांक/1211/दिनांक 10—03—2015 जारी करते हुए आहूत किया गया। प्रकरण की सुनवाई तिथि दिनांक 19—03—2015 को सहायक जनसूचना अधिकारी जिला पंचायत दन्तेवाड़ा उपस्थित हुए। अपीलार्थी बिना किसी पूर्व सूचना के सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। अतः एक पक्षीय कार्यवाही की गई। सहायक जन सूचना अधिकारी ने पत्र कमांक/6861/दिनांक 19—03—2015 द्वारा अपीलार्थी को प्रदाय किए जाने हेतु कंडिकावार जानकारी की एक प्रति प्रस्तुत की गई तथा प्रकरण में संलग्न किए जाने हेतु अतिरिक्त प्रति प्रस्तुत की गई। जिसे प्रकरण में संलग्न किया गया। अपीलार्थी के बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण सहायक जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत दंतेवाड़ा द्वारा अपीलार्थी को निःशुल्कं प्रदाय की जाने वाली जानकारी तथा पत्र क्रमांक 6861/19—03—2015 की प्रति प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रदाय की गई।

अपीलार्थी के अनुपस्थित रहने के कारण सहायक जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत दन्तेवाड़ा द्वारा प्रस्तुत कण्डिकावार जानकारी को डाक के माध्यम से इस आदेश की प्रति सहित अपीलार्थी को उनके द्वारा अंकित किए गए पते पर डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाकर प्रथम अपील प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाता है।

(शिव कुमार तिवारी)
अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

43

पृ0क0/ 1466 /सू0अ0/अपील/2015 दन्तेवाड़ा दिनांक 20-03-2015

प्रतिलिपि :-

1- जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय दन्तेवाड़ा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2- श्री प्रकाश अग्रवाल, संयोजक, जागो भारत जागो, एल0आई0जी0 78 भारती निकेतन, गोविंदपुरा, भोपाल 462013 की ओर इस आदेश के साथ सहायक जन सूचना अधिकारी जिला पंचायत दन्तेवाड़ा द्वारा आपको प्रदाय किए जाने हेतु प्रस्तुत पत्र तथा जानकारी (29 पृष्ठ) संलग्न कर प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश के विरूद्ध आप चाहें तो छत्तीसगढ़ सूचना आयोग (द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी) के निम्नलिखित पते पर, आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

पताः-

मुख्य सूचना आयुक्त,
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड
शंकर नगर रायपुर (छ0ग0)

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

o/c